

फर्द अहकाम

- विवेक बनारस

न्यायालय

संख्या

मा.सं. 495-78/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/6/2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली पूर्वागुप्त दिनांक 16/7/2024 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
16/7/2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय छहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-1 प्रार्थी के कब्जे व पैरुह हिस्से की भूमि को बेचा व इस पर निर्माण करना चाहती है यदि अप्रार्थी-1 को पाबंद नहीं किया गया तो प्राथम पत्र के उद्देश्य की असफलता हो जैसी।</p> <p>बदल व पत्रावली का क्वलोकन किया गया। छोट वाइगुस्त क्रम के पैरुह है यदि विवाहित तारानी को बेचा पा सुर्द-बुर्द किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूर्णीय हित कारित हित की सम्भावना है अतः प्रथम संख्या मामला अपूर्णीय हित व मुविधां का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अप्रार्थी संख्या-1 एवं प्रार्थी को जरिफे प्रस्थान निषेधना से पाबंद किया जाता है कि वे वीके प्रांत जैनस मय दौलतपुर पच्चाट हल्का नांगल सिट्स मू. म. हौ. खोराके खल तहसील जालमु के ख.नं. 672 रकबा 0.6900 हेक्टा कुल कित। कुल रकबा 0.6900 है. मे नोके व स्कोर की पचासिदी बनाने रखे। उक्त अपेक्षा कृषि कार्य करे व सरकारी योजनाओं के लाभ लेने पर लागू नहीं होंगे। पत्रावली फैसल शुमाट होकर दिविल दफ्तार हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर